सत्यमेव जयते

राजस्थान राज–पत्र साधारण	RAJASTHAN GAZETTE Ordinary
साधिकार प्रकाशित	**Published by Authority**

जिल्द 77 भाद्र 13, गुरुवार, शाके 1947–सितम्बर 4, 2025 अंक 23

Vol. 77 Bhadra 13, Thursday, Saka 1947–September 4, 2025 No. 23

भाग 7

विभिन्न विभागों में प्रदायों के लिए टेण्डर मांगने की सूचनाओं को सम्मिलित करते हुए सार्वजनिक और निजी विज्ञापन आदि।

नाम/उपनाम/सरनेम/परिवर्तन करने का बन्ध–पत्र

(नियम 8 राजस्थान सेवा नियम, वित्त विभाग के आदेश सं. एक. 1/12./एफ.डी.ई.आर.187, दिनांक 10.04.57 की अनुपालना में)

इस बन्ध–पत्र द्वारा मैं निम्न हस्ताक्षरकर्ता रतन लाल रैगर (नया नाम) जो अभी इससे पूर्व रतन लाल खाण्डा (पुराना नाम) कहलाता था एवं जो राजस्थान पुलिस मुख्यालय, जयपुर (सबंधित राज्य कर्मचारी द्वारा उस समय धारित किये गये पद का नाम) के रूप में जयपुर (जहां राज्य सरकार के विभाग में नियुक्त हो) पर नियुक्त था।

1. स्वयं तथा मेरी पत्नी एवं बच्चे तथा दूर के बच्चे जो पूर्णतया आश्रित हो मेरे पूर्व नाम रतन लाल उपनाम खाण्डा (सिर्फ) को त्यागता हूँ तथा उसके स्थान पर उसी तारीख से नाम रतन लाल तथा उपनाम रैगर ग्रहण करता हूँ एवं इसलिए मैं, मेरी पत्नी, बच्चे दूर के बच्चे एतद्वारा मेरे पूर्व उपनाम खाण्डा (केवल) से न जाने जाएं तथा पहचाने जाए बल्कि मेरे द्वारा ग्रहण किये गये उपनाम रैगर द्वारा जाने जाएं।
2. उक्त मेरे निश्चय की साक्ष्य के प्रयोजन के लिए घोषणा करता हूँ कि मैं एतद्पश्चात् सभी समय, निजी या सार्वजनिक सभी अभिलेखों, बंध–पत्रों, प्रलेखों एवं समस्त कार्यवाहियों, व्यवहारों एवं लेन–देनों में तथा सभी अवसरों पर अपने पूर्व नाम रतन लाल तथा उपनाम खाण्डा (सिर्फ) के स्थान पर एवं उसके परिवर्तन में रतन लाल रैगर नाम के रूप में तथा रैगर उपनाम के रूप में प्रयुक्त करूंगा एवं हस्ताक्षर करूंगा।
3. स्पष्टतः एतद्पश्चात् तथा सभी समय, सभी व्यक्तियों को मुझे, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे दूर के बच्चों को तदनुसार नये रखे नाम रतन लाल उपनाम रैगर के नाम से सम्बोधित करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ तथा उसके लिए निवेदन करता हूँ।

इसके साक्षी में, मैंने अपने पूर्व नाम एवं नये नाम रतन लाल खाण्डा तथा रतन लाल रैगर का वर्णन किया है तथा दिनांक 18.07.2025 को हस्ताक्षर किये हैं।

हस्ताक्षरित निम्नलिखित की उपस्थिति में उपर्युक्त नाम रतन लाल रैगर द्वारा जो पूर्व में रतन लाल खाण्डा कहलाता था हस्ताक्षर किये हैं।

साक्षी

1. घीसू सिंह, AAO
2. नरेन्द्र सिंह, कानि.

हस्ताक्षर

(नया नाम) रतन लाल रैगर

(पुराना नाम) रतन लाल खाण्डा

प्रतिहस्ताक्षर

लाखन सिंह मीणा

अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त

पुलिस लाइन, जयपुर।

12579

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।